सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 4101/2015

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. घीसा पुत्र भोलू जाति माली
2. हीरालाल पुत्र घीसा माली

निवासीगण नयागांव मालियान तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. गुदडमल पुत्र माधू जाति माली
2. हीरालाल पुत्र माधू जाति माली
3. रामनिवास पुत्र माधू जाति माली
4. रणजीत पुत्र गुदडमल जाति माली
5. शिबू उर्फ शिवप्रकाश पुत्र गूदडमल जाति माली

   समस्त निवासीगण नयागांव मालियान तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

7. सोजी पुत्र नन्दा जाति माली निवासी नयागांव मालियान तहसील सावर जिला अजमेर

प्रफोर्मा प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, राज. काश्त. अधि. व धारा 128, 129 राज. भू राजस्व अधि.

निर्णय

दिनांक 29.6.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सदारा में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 128, 129 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की वादग्रस्त आराजी **वाके ग्राम सदारी तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 327 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1311, 1312 किता 2 कुल रकबा 0.16 हैक्ट. भूमि वादी संख्या 1 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 7 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी व स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है एवं खाता संख्या 67 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1306 रकबा 1.42 हैक्ट.** भूमि वादी संख्या 1 के कब्जे काश्त, स्वामित्व, खातेदारी की आराजीयात है। **खाता स. 327 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1311, 1312 किस्म गैर मु. चाह है जिससे वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी 7 अपनी अन्य आराजी की सिंचाई आबपास करते आ रहे है।** उक्त वादवर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा अधिकार कब्जा काश्त नही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की नियत बद है तथा वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 7 की उक्त वादवर्णित आराजीयात के पडौसी होने से वादीगण की आराजीयात पर जबरन लकडी के बल पर नाजायज रूप से अवैध कब्जा करना चाहते है तथा उक्त चाह से वादीगण को सिंचाई करने बाधा उत्पन्न करते है। तथा मना करने पर लडाई–झगडा करने पर आमादा रहते है जिसके कारण वादीगण द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु अंतिम मौका दिया गया। जवाब पेश नही होने से जवाब बन्द किया गया। पत्रावली में तन्कीयात कायम की गई। पत्रावली आज केम्प कोर्ट सदारा में पेश हुइ जहां वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकारान को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादीगण का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा **वाके ग्राम सदारी तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 327 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1311, 1312 किता 2 कुल रकबा 0.16 हैक्ट. भूमि एवं खाता संख्या 67 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1306 रकबा 1.42 हैक्ट.** भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की उक्त चाह से वादीगण को अपनी आराजीयात में सिंचाई करने में व वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी